2/1/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा॰ प॰ किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रूकरूक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:09:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 09/23 प्रा०पत्र

श्री -पोरवरू/० उदा कुमावत निवासी- काजवो का खेड़ा तहसील - मांडल

–प्रार्थी

बनाम

श्री फैला s/० गमा कुमावत निवासी - काजवो का खेड़ा तहसील : मांडल (भील०)
(प्रत्यर्थीगण प्रार्थनापत्रकर्ता)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 07.02.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम काजवो का खेड़ा पटवार हल्का कुरिया तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं 1694 कुल किता 01 रकबा 0.0506 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 11.01.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

अतः प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काजवो का खेड़ा पटवार कुरिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 1694 किता 01 रकबा 0.0506 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी होने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आसपास को 500/– रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:09:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आदेशः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा